10265/06

24

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु 10

TEN RUPEES Rs 10

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

17AA 404502

1. भूमि का प्रकार – कृषि भूमि
2. मौहल्ला/ग्राम....मौजा छटीकरा तहसील व जिला मथुरा
3. मापन की इकाई (हैक्टेयर) रकवा 0.802 हैक्टेयर का 1/3 भाग
4. सम्पत्ति का प्रकार :–कृषि भूमि
5. पेड़ों का मूल्यांकन..नहीं
6. बोरिंग/कुंआ/अन्य..नहीं
7. प्रतिफल की धनराशि 530000/–.रूपये
8. स्टाम्प हेतु मालियत 660600/–रूपये
9. स्टाम्प देय : मुक्त
10. सरकारी दर भूमि 1000000/––रूपये जो नवीन रेट लिस्ट के पृष्ठ सं0 1 क्रमांक 2 पर दर्ज है।

कार्यक्षेत्र उ0नि0 मथुरा –प्रथम

विक्रेता की संख्या (3)

विक्रेता का विवरण

रमन पुत्र श्री मुकन्दी निवासी ग्राम छटीकरा तहसील व जिला मथुरा विक्रेता प्रथमपक्ष व जयगोविन्द अग्रवाल पुत्र श्री गिरधारीलाल अग्रवाल निवासी गऊघाट, मथुरा व बांकेलाल पुत्र श्री हीरालाल निवासी ग्राम छटीकरा तहसील व जिला मथुरा द्वितीयपक्ष

क्रेता की संख्या (1)

क्रेता का विवरण

सनसिटी हाईटेक प्रोजेक्टस् प्रा0लि0 जो एक पंजीकृत कम्पनी है जिसका प्रधान कार्यालय एन–49, प्रथमतल कनाट प्लैस नई दिल्ली है द्वारा क्रेता कम्पनी द्वारा अधिकृत श्री कपिल देव उपाध्याय पुत्र श्री छैलबिहारी उपाध्याय निवासी गोवर्धन गेट वृन्दावन तहसील व जिला मथुरा

रमन बांकेलाल

स्टाम्प विक्रेता

क्र० सं० 15 दिनांक 16/9/06 मूल्य 10

नाम श्री सन सिटी हाई टेक प्रा. लि.

निवासी

स्टाम्प विक्रेता
मिश्र ला० नं. 3. 2099/00
रजिस्ट्री कार्यालय, मथुरा

विक्रय पत्र

530,000.00/ **660,000.00**

प्रतिफल मालियत

5,000.00 20 5,020.00

फीस रजिस्ट्री नकल व प्रति शुल्क योग [illegible]

श्री /श्रीमती रमन
पुत्र / पत्नी श्री मुकन्दी
पेशा कृषि
निवासी स्थायी छटीकरा मथुरा
अस्थायी पता छटीकरा मथुरा
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 16/9/2006 समय 3:29PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

देवेन्द्र सिंह
उप निबन्धक
मथुरा
16/9/2006

निष्पादन लेखपत्र वाद सनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू. प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

श्री/श्रीमती रमन
पुत्र/पत्नी श्री मुकन्दी
पेशा कृषि
निवासी छटीकरा मथुरा

श्री/श्रीमती जय गोविन्द
पुत्र/पत्नी श्री गिरधारी लाल
पेशा व्यापार
निवासी गऊ घाट मथुरा

श्री/श्रीमती वॉके लाल
पुत्र/पत्नी श्री हीरा लाल
पेशा व्यापार
निवासी छटीकरा मथुरा

क्रेता

श्री/श्रीमती सन सिटी हाई टेक द्वारा कपिल देव
पुत्र/पत्नी श्री छैल विहारी उपध्याय
पेशा व्यापार
निवासी गोवर्धन गेट वृन्दावन मथुरा

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

17AA 404503

2

हमकि रमन पुत्र श्री मुकन्दी निवासी ग्राम छटीकरा तहसील व जिला मथुरा विक्रेता प्रथमपक्ष व जयगोविन्द अग्रवाल पुत्र श्री गिरधारीलाल अग्रवाल निवासी गऊघाट, मथुरा व बांकेलाल पुत्र श्री हीरालाल निवासी ग्राम छटीकरा तहसील व जिला मथुरा मुहायदा वै धारक द्वितीयपक्ष जो कि कृषि भूमि भूमिधरी खाता संख्या–33 व खसरा नंबर–555 रकवा 0.802 हैक्टेयर लगानी 18.71 पैसा सालाना बाके मौजा छटीकरा तहसील व जिला मथुरा स्थित गांव छटीकरा तहसील व जिला मथुरा का 1/3 एक तिहाई भाग भूमि मिल्कियत विक्रेता प्रथमपक्ष है विक्रेता प्रथमपक्ष का वास्तविक व मालिकाना कब्जा है और सरकारी कागजात माल में विक्रेता प्रथमपक्ष का नाम बहैसियत मालिक भूमिधर के दर्ज चला आता है और जिसकी बावत विक्रेता प्रथमपक्ष को हर तरह के अधिकारात मालिकाना व काविजाना व हस्तान्तरण आदि के प्राप्त हैं तथा जो हर प्रकार के विवादों झगड़े झंझटों कर्जो जमानतों व अन्य सभी प्रकार की देनदारियों से पूर्णतयाः मुक्त व पाक साफ है जिस पर किसी भी वित्तीय संस्था बैंक आदि या व्यक्ति विशेष की कोई भी देनदारी आयद नहीं है न उक्त भूमि किसी भी अधिग्रहण या सीलिंग आदि में आती है न इस सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही विचाराधीन है न उक्त भूमि की विक्रेता प्रथमपक्ष की मिल्कियत की बावत कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है तात्पर्य यह है कि उक्त भूमि हर प्रकार के विवादों ऋणों देनदारियों आदि से मुक्त एक मात्र विक्रेता प्रथमपक्ष के ही स्वामित्व

रमन बांकेलाल

जनरल स्टाम्प
क्र०सं० 26 दिनांक 16/8/-6 मूल्य 10
नाम श्री ... श्री ...
लाइसेन्स नं० ... निवासी ...

स्टाम्प विक्रेता
इन्द्र प्रकाश लि० ला० नं० 3,2000/08
रजिस्ट्री कार्यालय, मथुरा

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान श्री गिरधारी लाल
पुत्र श्री राम वावू लाल
पेशा व्यापार
निवासी गऊ घाट मथुरा
व श्री कन्हैया लाल
पुत्र श्री लख्मी चन्द
पेशा व्यापार
निवासी कोसी खुर्द मथुरा
ने की ।

TREASURY
06 SEP 2006
कोषागार, मथुरा

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

देवेन्द्र सिंह
उप निबन्धक
मथुरा
16/9/2006

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 17AA 404504

की है जिसमें अलावा विक्रेता प्रथमपक्ष के अन्य किसी का भी कोई हक हिस्सा या सम्बन्ध नहीं है न कोई ऐसा व्यक्ति या वस्तु या कारण है जो विक्रेता प्रथमपक्षे के उक्त भूमि के बेचे जाने में किसी भी प्रकार की रूकावट या बाधा पैदा कर सके भूमि में सिंचाई का उपयुक्त साधन न होने के कारण उससे काश्त की अच्छी आय नहीं हो पाती है विक्रेता प्रथमपक्ष को रूपयों की आवश्यकता है कीमत अच्छी व अधिकतम मिल रही है मूल्य में प्राप्त धन का निवेश कहीं भी कर देने से विक्रेता प्रथमपक्ष को भूमि से वर्तमान में हो रही काश्त की आय से कई कई गुना अधिक व अच्छी आय हो जावेगी। जिसमें विक्रेता प्रथमपक्ष का सरासर लाभ है, प्रथमपक्ष ने भूमि को बेचना द्वितीयपक्ष से तय किया था द्वितीयपक्ष भूमि क्रय नहीं करना चाहते हैं और अपने सभी हक सहमतिदाता पक्ष विक्रयपत्र में कायम होकर केता को बेची जा रही एक तिहाई भूमि से सम्बन्धित हस्तान्तरित कर रहे हैं अतः उक्त भूमि को समस्त अधिकारों सहित जो उनकी बावत विक्रेता प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष को प्राप्त हैं या भविष्य में प्राप्त हो सकते हों बिना विकेताओं ने अपने पास रखे या छोड़े किसी भी हक व अधिकार के फ्रीहोल्ड सुखाधिकारों के साथ वएवज 530000/—पांच लाख तीस हजार रूपये जिसके आधे 265000/—दो लाख पैंसठ हजार रूपये होते हैं। बहक **सनसिटी हाईटेक प्रोजेक्टस् प्रा0लि0 जो एक पंजीकृत कम्पनी है जिसका प्रधान कार्यालय एन–49, प्रथमतल कनाट प्लैस नई दिल्ली है द्वारा क्रेता कम्पनी द्वारा अधिकृत श्री कपिल देव उपाध्याय पुत्र श्री छैलबिहारी उपाध्याय निवासी गोवर्धन गेट वृन्दावन तहसील व जिला मथुरा** को बै कतई कर दी व बेच दी और मूल्य

भारत स्टाम्प
क्र०सं० 21 दिनांक 6/9/06 मूल्य 10
नाम श्री 15 श्री
निवासी

स्टाम्प विक्रेता
इन्द्र प्रकाश मिश्र ला० नं० 3,2999/00
रजिस्ट्री कार्यालय, मथुरा

06 SEP 2006
Book No.

विक्रेता

Registration No 10265 Year : 2006

0101 रमन

मुकन्दी

छटीकरा मथुरा

कृषि

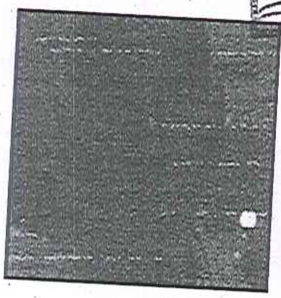

0102 जय गोविन्द

गिरधारी लाल

गऊ घाट मथुरा

व्यापार

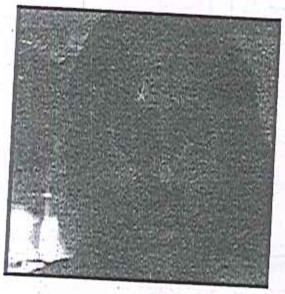

0103 वॉके लाल

हीरा लाल

छटीकरा मथुरा

व्यापार

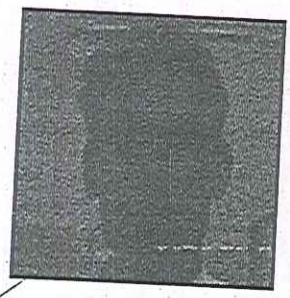

भारतीय गैर न्यायिक

पाँच रुपये FIVE RUPEES

रु.5 Rs.5

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 01AA 824155

का कुल रूपया खरीदार से एच0डी0एफ0सी0 बैंक के चैक संख्या–659558 दिनांक–16.9.2006 द्वारा प्राप्त कर व मूल्य के कुल रूपये की प्राप्ती हो जाना अंगीकार कर बेची गई भूमि से विक्रेता प्रथमपक्ष ने अपना कब्जा हटाकर क्रेता का वास्तविक व मालिकाना आधिपत्य करा दिया क्रेता एक मात्र स्वामी भूमि का हो गया। जिसकी बावत वह कुल अधिकारात मालकाना व काविजाना व हस्तान्तरण आदि अपने प्रयोग में लावें और उसका खुद जो चाहे सो करें, विक्रेता प्रथमपक्ष या उनके वारसान का बेची गई भूमि से कोई सम्बन्ध किसी भी प्रकार का शेष नहीं रहा और न आयन्दा भविष्य में कदापि होगा। यदि बेची गई भूमि की मिल्कियत की बावत कोई विवाद पैदा हो और कब्जा क्रेता से आंशिक या पूर्ण निकल जावे या बेची गई भूमि पर लिया गया कोई ऋण जमानत देनदारी आदि का भार पाया जायें और उसके कारण क्रेता को कुछ खर्च करना पड़े या अदा करने पड़े तो उस कुल की अदायगी व जबाबदेही की जिम्मेदारी मय जर समन व जर लागत सूद आदि के विक्रेता प्रथमपक्ष व उनके वारिसान व उनकी चल अचल सम्पत्ति के जिम्मे होगा। क्रेता वह सब हस्ब जाब्ता बसूल करलें। खर्चा बैनामा क्रेता के जिम्मे है जो शासनादेश सं0 6087/8आ–1–2003–04 दिनांक–22.11.2003 व अधिसूचना सं0 क0नि0 5–2915/ग्यारह–2004–2004–600 (87)–2001 दि0 9.7.2004 संशोधित सं0 क0नि0 5–3497/11–2005–500(83)–2005 दिनांक–9.9.2005 से स्टाम्प मुक्त है। प्रमाण पत्र संलग्न किया जा रहा है। जिसमें मथुरा वृन्दावन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा जारी प्रमाण संलग्न किया जा रहा है

जनरल स्टाम्प
क्र०सं० 22 दि० 16/5/06 मूल्य 57
नाम श्री 19 श्री
लैसन्स नं० 19 निवासी

स्टाम्प विक्रेता
रजिस्ट्री कार्यालय, मथुरा

TREASURY Office MATHURA
- 1 AUG 2006
ISSUE BY-CASHIER

क्रेता

Registration No. 10265 Year : 2006 Book No. 1

0201 सन सिटी हाई टेक द्वारा कपिल देव
छैल विहारी उपध्याय
गोवर्धन गेट व्रन्दावन मथुरा
व्यापार

भारतीय गैर न्यायिक

पाँच रुपये FIVE RUPEES

रु.5 Rs.5

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 01AA 824156

लिहाजा यह बैनामा वखुशी राजी खूबसोचसमझकर लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवें। जिसके हम व हमारे वारिसान आदि सदैव पाबन्द रहेंगे। विक्रेता प्रथमपक्षगण अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं हैं। बिक्रित भूमि में पेड़ बोरिंग व फसल नहीं है विक्रय पत्र क्रेता विक्रेता प्रथमपक्ष के उपस्थिति में उनके निर्देशानुसार ड्राफ्ट किया गया है। फोटो प्रमाणित राजेन्द्र प्रसाद पाठक एडवोकेट ने किये हैं।

दिनांक–16.9.2006

कम्प्यूटराईज्ड : गोपाल कृष्ण झारिया मथुरा

ड्राफ्ट किया : प्रभात कुमार चतुर्वेदी एडवोकेट, मथुरा

ISSUE BY-CASHIER

- 1 AUG 2006

MATHURA

आज दिनांक **16/09/2006** को

बही सं **1** जिल्द सं **3866**

पृष्ठ सं. **327** से **336** पर कमांक **10265**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

देवेन्द्र सिंह

उप निबन्धक

मथुरा

16/9/2006

22

20 Rs.

86210

विक्रय पत्र कृषि भूमि स्थित गांव छटीकरा तहसील व जिला मथुरा क्षेत्रफल 0.802 हैक्टेयर का 2/3 भाग व 0.036 है0 सम्पूर्ण अंश सरकारी दर 1000000/–रूपये प्रतिएकड़ कीमत 1129000/–रूपये मालियत स्टाम्प 1411000/–रूपये कार्यक्षेत्र उप निबंधक मथुरा द्वितीय।

हमकि किशोरी पुत्र श्री छिद्दा निवासी गांव छटीकरा तहसील व जिला मथुरा विक्रेता प्रथमपक्ष व कुश अग्रवाल पुत्र श्री रामकिशन अग्रवाल निवासी जैन गली मथुरा मुहायदा वै धारक द्वितीयपक्ष पक्षगण इस लेखपत्र के हैं।

जो कि कृषि भूमि भूमिधरी खाता नंबर–38 व गाटा संख्या–555 क्षेत्रफल 0.802 है0 का 2/3 भाग व खसरा नंबर–443 रकवा 0.036 हैक्टेयर सम्पूर्ण अंश सालाना लगानी सम्पूर्ण खाते पर 19.55 रूपया सालाना स्थित गांव छटीकरा तहसील व जिला मथुरा मिल्कियत विक्रेता प्रथमपक्ष की है जिस पर विक्रेता का वास्तविक व मालिकाना कब्जा है और सरकारी कागजात माल में विक्रेता का नाम बहैसियत मालिक भूमिधर के दर्ज चला आता है और जिसकी बावत विक्रेता को हर तरह के अधिकारात मालिकाना व काबिजाना व हस्तान्तरण आदि के प्राप्त हैं तथा जो हर प्रकार के विवादों झगड़े झंझटों कर्जा जमानत व अन्य सभी प्रकार की देनदारियों से पूर्णतया: मुक्त व पाक साफ है जिस पर किसी भी वित्तीय संस्था बैंक आदि या व्यक्ति विशेष की कोई भी देनदारी आयद नहीं है न उक्त भूमि किसी भी अधिग्रहण या सीलिंग आदि में आती है न इस सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही विचाराधीन है न विक्रेता प्रथमपक्ष ने उक्त भूमि को बेचने का मुहायदा अलावा द्वितीयपक्ष के अन्य किसी से भी तय कर रखा है न उक्त भूमि की विक्रेता प्रथमपक्ष की मिल्कियत की बावत कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है तात्पर्य यह है कि उक्त भूमि हर प्रकार के विवादों ऋणों देनदारियों आदि से मुक्त एक मात्र विक्रेता प्रथमपक्ष के ही स्वामित्व की है जिसमें अलावा विक्रेता प्रथमपक्ष के अन्य किसी का भी कोई हक हिस्सा या सम्बन्ध नहीं है न कोई ऐसा व्यक्ति या वस्तु या कारण है जो विक्रेताओं के उक्त भूमि के बेचे जाने में किसी भी प्रकार की रूकावट या बाधा पैदा कर सके भूमि में सिंचाई का उपयुक्त साधन न होने के कारण उससे काश्त की अच्छी आय नहीं हो पाती है विक्रेता को रूपयों की आवश्यकता है कीमत अच्छी व अधिकतम मिल रही है मूल्य में प्राप्त धन का निवेश कहीं भी कर देने से विक्रेता को भूमि से वर्तमान में हो रही काश्त की आय से कई कई गुना अधिक व अच्छी आय हो जावेगी। जिसमें विक्रेता प्रथमपक्ष का सरासर लाभ है, अतः उक्त भूमि को समस्त अधिकारों सहित जो उनकी बावत विक्रेता प्रथमपक्ष को प्राप्त हैं या भविष्य में प्राप्त हो सकते हों बिना विक्रेताओं ने अपने पास रखे या छोड़े किसी भी हक व अधिकार के फ्रीहोल्ड सुखाधिकारों के साथ बएवज 1129000/–ग्यारह लाख उन्तीस

किशोरी कुश अग्रवाल

22

नैकाश / 129 0006

1411 0002

ISSUE BY-CASH III

29/7/06

29/7/06

भजनलाल मीणा

29/7/06

मजनलाल

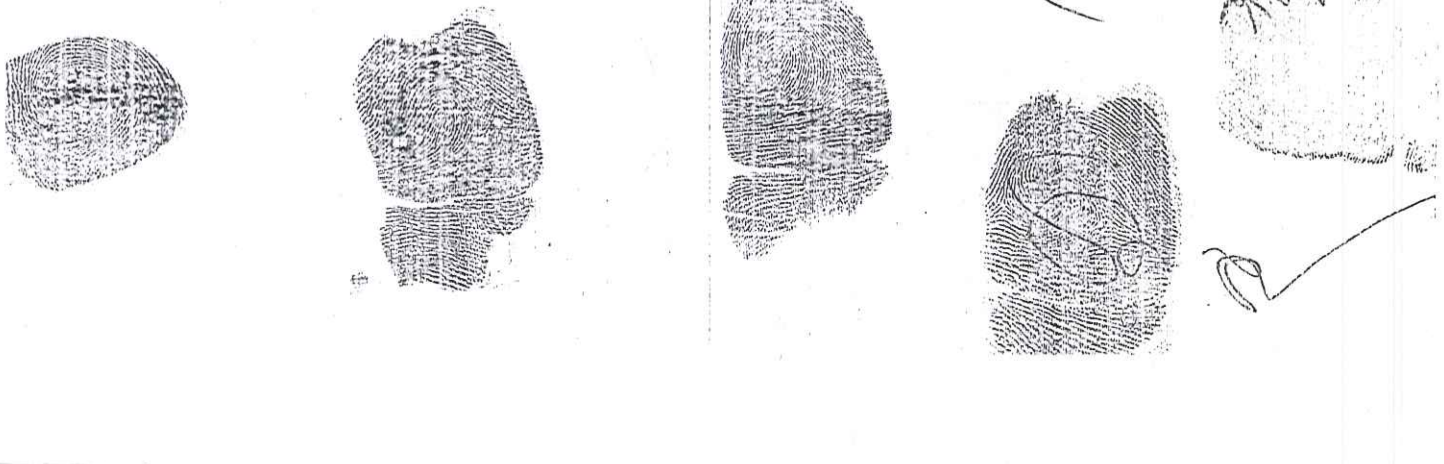

20 Rs

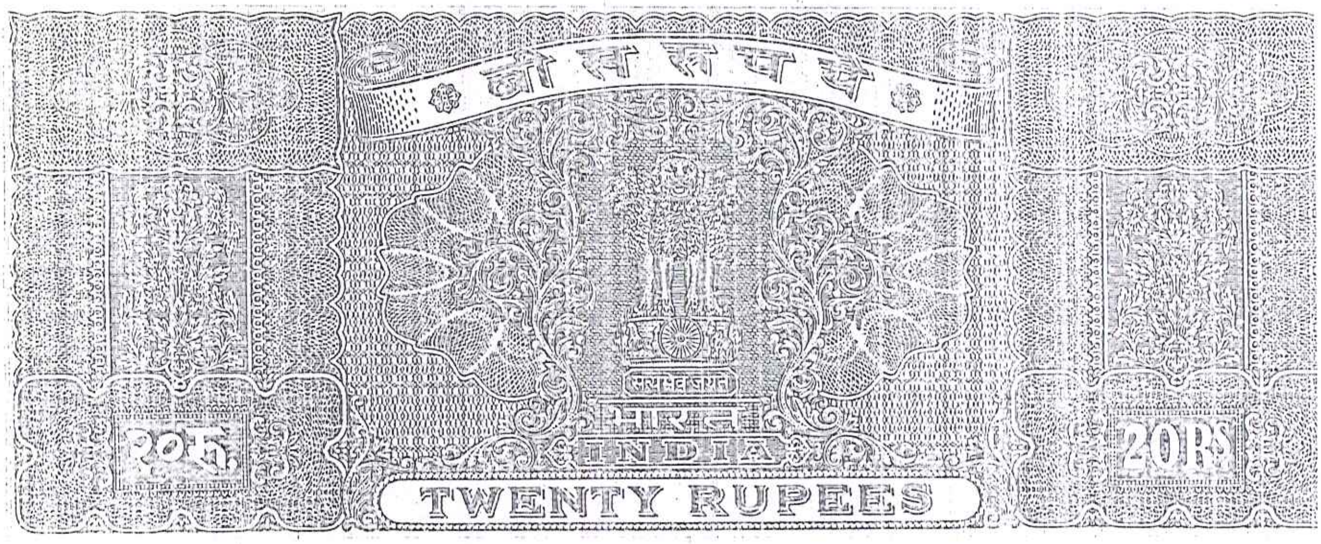

हजार रूपये जिसके आधे 564500/—पांच लाख चौंसठ हजार पांच सौ रूपये होते हैं। बहक सनसिटी हाईटेक प्रोजेक्टस् प्रा0लि0 जो एक पंजीकृत कम्पनी है जिसका प्रधान कार्यालय एन—49, प्रथमतल कनाट प्लैस नई दिल्ली है द्वारा क्रेता कम्पनी द्वारा अधिकृत श्री कपिल देव उपाध्याय पुत्र श्री छैलबिहारी उपाध्याय निवासी गोवर्धन गेट वृन्दावन तहसील व जिला मथुरा को बै कतई कर दी व बेच दी और मूल्य का कुल रूपया खरीदार से एच0डी0एफ0सी0 बैंक के एकाउन्ट पेई चैक संख्या—659553 दिनांक—29.7.2006 द्वारा प्रथमपक्ष ने वक्त रजिस्ट्री बैनामा प्राप्त कर व मूल्य के कुल रूपये की प्राप्ती हो जाना अंगीकार कर बेची गई भूमि से विक्रेता प्रथमपक्ष ने अपना कब्जा हटाकर क्रेता का वास्तविक व मालिकाना आधिपत्य करा दिया क्रेता एक मात्र स्वामी भूमि का हो गया। जिसकी बावत वह कुल अधिकारात मालिकाना व काबिजाना व हस्तान्तरण आदि अपने प्रयोग में लावें और उसका खुद जो चाहे सो करें, विक्रेता या उनके वारसान का बेची गई भूमि से कोई सम्बन्ध किसी भी प्रकार का शेष नहीं रहा और न आयन्दा भविष्य में कदापि होगा। यदि बेची गई भूमि की मिल्कियत की बावत कोई विवाद पैदा हो और कब्जा क्रेता से आंशिक या पूर्ण निकल जावे या बेची गई भूमि पर लिया गया कोई ऋण जमानत देनदारी आदि का भार पाया जायें और उसके कारण क्रेता को कुछ खर्च करना पड़े या अदा करने पड़े तो उस कुल की अदायगी व जबाबदेही की जिम्मेदारी मय जर समन व जर लागत सूद आदि के विक्रेता व उनके वारिसान व उनकी चल अचल सम्पत्ति के जिम्मे होगा। क्रेता वह सब हस्ब जाब्ता बसूल करलें। खर्चा बैनामा क्रेता के जिम्मे है जो शासनादेश सं0 6087/8आ—1—2003—04 दिनांक—22.11.2003 व अधिसूचना सं0 क0नि0 5—2915/ग्यारह—2004—2004—600 (87)—2001 दि0 9.7.2004 संशोधित सं0 क0नि0 5—3497/11—2005—500(83)—2005 दिनांक—9.9.2005 से स्टाम्प मुक्त है। प्रमाण पत्र संलग्न किया जा रहा है। जिसमें मथुरा वृन्दावन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न किया जा रहा है

लिहाजा यह बैनामा वखुशी राजी खूबसोचसमझकर लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवें। जिसके हम व हमारे वारिसान आदि सदैव पाबन्द रहेंगे। विक्रेता प्रथमपक्ष अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं हैं। विक्रित भूमि में पेड़ बोरिंग व फसल नहीं है विक्रय पत्र क्रेता विक्रेता के उपस्थिति में उनके निर्देशानुसार ड्राफ्ट किया गया है। फोटो प्रमाणित राजेन्द्र प्रसाद पाठक एडवोकेट ने किये हैं।

दिनांक—29.7.2006
कम्प्यूटराईज्ड : गोपाल कृष्ण मथुरा
ड्राफ्ट किया : प्रभात कुमार चतुर्वेदी एडवोकेट, मथुरा

जनरल स्टाम्प कोषागार 30/9/2000
क्रमांक 89
मूल्य
सं० पंजि

मुरारी लाल शर्मा
स्टाम्प विक्रेता रजि० नं०13 सन 88
कचहरी मथुरा

TREASURY
Office
MATHURA
-3 OCT 2000
ISSUE BY-CASHIER

आज दिनांक 29-7-06 को पुस्तक
रजिस्टर बही सं०-I के खण्ड सं०- 3296
के पृष्ठ सं० 173-196 क्रमांक
पर रजिस्ट्रीकृत
किया गया 8602

उप निबन्धक
[illegible]